

## सधु जल संधि से संबंधित विवाद

### प्रलिसः

सधु जल संधि (IWT), सधु और उसकी सहायक नदियों, कशिनगंगा और रतले जलवदियुत परयोजनाएँ, वशिव बैंक ।

### मेन्सः

सधु जल संधि और संबंधित मुद्दा

[स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

वशिव बैंक द्वारा नयुक्त तटस्थ वशिषज्ज ने हाल ही में कहा है कविह सधु और उसकी सहायक नदियों पर कशिनगंगा तथा रतले जलवदियुत परयोजना के डज़ाइन के संबंध में पाकस्तान द्वारा उठाए गए मुद्दे को हल करने में सक्षम है ।

## सधु जल संधि (IWT) से संबंधित प्रमुख विवाद क्या हैं?

### ■ जल वभाजन संबंधी विवादः

- कशिनगंगा जलवदियुत परयोजनाः कशिनगंगा जलवदियुत परयोजना (HEP) जम्मू-कश्मीर में कशिनगंगा नदी (झेलम की सहायक नदी) से संबंधित है । पाकस्तान ने इस पर दावा किया है कि वदियुत उत्पादन के लिये जल के बहाव पर नयितरण, IWT का उल्लंघन है ।
- रतले जलवदियुत परयोजनाः यह जम्मू-कश्मीर में चेनाब नदी पर एक रन-ऑफ-द-रविर परयोजना है । इसके संदर्भ में पाकस्तान ने चिता जताई थी कतिबंध का डज़ाइन, भारत को नदी के प्रवाह पर काफी अधिक नयितरण प्रदान करता है ।

### ■ विवाद समाधान प्रकरियाः

- पाकस्तान ने कशिनगंगा और रतले परयोजनाओं पर आपत्तजिताई थी, तथा शुरु में वर्ष 2015 में सधु जल संधि के तहत एक तटस्थ वशिषज्ज की मांग की थी, लेकिन बाद में उसने PCA द्वारा नरिणय की मांग की थी ।
- भारत ने इसका वरिोध किया और IWT के विवाद समाधान पदानुक्रम पर ज़ोर दिया, जो PCA पर तटस्थ वशिषज्ज को प्राथमिकता देता है । वर्ष 2022 में, वशिव बैंक ने तटस्थ वशिषज्ज और PCA दोनों प्रकरियाओं की शुरुआत की ।
  - भारत ने तटस्थ वशिषज्ज के साथ वार्ता करते हुए PCA का बहषिकार किया तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि केवल तटस्थ वशिषज्ज को ही सधु जल संधि के अंतर्गत विवादों को सुलझाने का अधिकार है ।

//

## INDUS WATERS TREATY: POINTS OF DIFFERENCE


Here's what the Neutral Commissioner will now decide upon

- |   |  |
|---|--|
| ■ Whether the pondage provided in the two dams' designs meet restrictions imposed by the IWT. | ■ Whether outlets below the dead storage level are in accordance with the IWT.             |
| ■ Whether the intakes for the turbines provided in the design are in accordance with the IWT. | ■ Whether the designs of the gated spillways of each plant are in accordance with the IWT. |

## सधु जल संधिक्या है?

- **परचिय:** यह **भारत और पाकसितान** के बीच वर्ष 1960 में **वशिव बैंक** के तत्वावधान में हस्ताक्षरति एक **जल-बंटवारा समझौता** है, जिसके तहत **सधु नदी** और इसकी 5 सहायक नदियों (**सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चनिाब**) के जल को दोनों देशों के बीच वभाजति किया गया है।
- **प्रमुख परावधान:**
  - **जल बंटवारे की व्यवस्था:**
    - यह संधि **भारत को तीन पूरवी नदियों (व्यास, रावी, सतलुज)** के अपरतबिंधति उपयोग की अनुमति देती है तथा **तीन पश्चिमी नदियों (चनिाब, सधु, झेलम)** को **पाकसितान को आवंटति** करती है, साथ ही भारत को वशिषिट परस्थितियों में **घरेलू, गैर-उपभोग्य, कृषि और जलवदियुत प्रयोजनों** के लिये इन नदियों के जल का उपयोग करने की कुछ छूट भी देती है।
    - इस व्यवस्था के अनुसार, **पाकसितान को सधु नदी प्रणाली से लगभग 80% जल आवंटति** किया जाता है, जबकि **भारत को लगभग 20% जल मलित** है।
  - **स्थायी सधु आयोग:** संधिने **दोनों देशों के प्रतनिधियों** के साथ एक **स्थायी सधु आयोग (PIC)** की स्थापना को अनवार्य किया, जसिे संधि के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये **वार्षिक बैठक** करनी होती है।
- **वविाद समाधान तंत्र:** **IWT का अनुच्छेद IX 3-सतरीय वविाद समाधान प्रक्रिया** की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:
  - **PIC द्वारा समाधान:** संधि की व्याख्या या उल्लंघन से संबंधति प्रारंभिक वविादों या प्रश्नों का समाधान PIC द्वारा किया जाता है, जो भारत और पाकसितान के अधिकारियों का एक द्वपिक्षीय नकिया है।
  - **नषिपकष वशिषज्ज:** यदि **PIC समस्या** का समाधान करने में वफिल रहती है, तो इसे कसिी भी आयुक्त के अनुरोध पर वशिव बैंक द्वारा नयिकृत तटस्थ वशिषज्ज के पास भेजा जाता है।
  - **मध्यस्थता न्यायालय:** यदि मामला **वविाद के रूप में वर्गीकृत** है या नषिपकष वशिषज्ज के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तथा यदि **द्वपिक्षीय वार्ता वफिल** हो जाती है, तो कोई भी पकष **वशिव बैंक** द्वारा स्थापति **मध्यस्थता न्यायालय** का सहारा ले सकता है।

**नोट:** PCA की स्थापना वर्ष 1899 में हुई थी। यह हेग (नीदरलैंड) में स्थति है, यह राज्यों के बीच वविादों को का समाधान करता है, मध्यस्थता और अन्य तंत्र प्रदान करता है। यह वकिसशील देशों को मध्यस्थता लागतों को कवर करने में मदद करने के लिये एक वतितीय सहायता कोष भी प्रदान करता है।



## IWT से संबंधति चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पुराने परावधान:** IWT जलवायु परिवर्तन जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान नहीं करता है, जसिने सधु बेसिन में जल वज्जान प्रारूप को बदल दिया है, जसिसे पानी की उपलब्धता प्रभावति हुई है।
  - ऐतिहासिक **जल वज्जान प्रवृत्तियों** के आधार पर स्थापति **IWT**, **जल आपूर्तिपर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से खतरे** में है, जसिमें **उच्च वाष्पीकरण, अपरत्याशति वर्षा और हमिनदों का तेज़ी से पघिलना** शामिल है।

- **अनुकूलता का अभाव:** संधि के तहत **जल संसाधनों का असंगत आवंटन** बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूल जल प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने की क्षमता को सीमित करता है।
- **PCA की अनियमितताएँ:** विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई समानांतर कार्यवाही **संधि के विवाद समाधान ढाँचे में अस्पष्टता को उजागर** करती है, तथा सुधार और स्पष्टीकरण की आवश्यकता का संकेत देती है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** भारत और पाकस्तान के बीच व्यापक अविश्वास और शत्रुता संधि की प्रभावशीलता में बाधा डालती है, जिससे जल-आवंटन और प्रबंधन पर **सहयोग बाधित** हो जाता है।

## आगे की राह

- **संधि पर पुनः वार्ता:** इसकी सीमाओं का नविकरण करने तथा जलवायु लचीलेपन और सतत जल प्रबंधन के प्रावधानों को इसमें शामिल करने के लिये IWT पर पुनः विचार किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
- **बेहतर संवाद:** भारत और पाकस्तान को विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से नविकरण करने हेतु संवाद और विश्वास-निर्माण उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिये। इसके संदर्भ में **स्थायी संधि आयोग** का पुनरुद्धार एक शुरुआती बटु के रूप में काम कर सकता है।
- **तृतीय-पक्ष मध्यस्थता:** विश्व बैंक और अन्य तटस्थ पक्ष वार्ता को सुविधाजनक बनाने और संधि का अनुपालन सुनिश्चित करने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं।
- **तकनीकी समाधान का विकल्प:** दोनों देशों को जलवदियुत परियोजनाओं से संबंधित विवादों का समाधान करने हेतु तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये तथा डेटा साझाकरण एवं संयुक्त अध्ययन पर जोर देना चाहिये।

### दृष्टिभेन्स प्रश्न:

**प्रश्न.** संधि जल संधि (IWT) क्या है? चर्चा कीजिये कि भारत कि कारणों से IWT पर पुनः वार्ता करना चाहता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### ??????:

**प्रश्न.** संधि नदी प्रणाली के संदर्भ में नमिनलखिति चार नदियों में से तीन उनमें से एक में मलिती हैं, जो अंततः सीधे संधि में मलिती हैं। नमिनलखिति में से कौन-सी ऐसी नदी है जो सीधे संधि से मलिती है? (2021)

- (a) चनिाब
- (b) झेलम
- (c) रावी
- (d) सतलज

**उत्तर: (d)**

**प्रश्न.** नमिनलखिति युगमों पर विचार कीजिये: (2019)

हमिनद	नदी
1. बंदरपूछ	यमुना
2. बड़ा शगिरी	चनिाब
3. मलिम	मंदाकनी
4. सयिाचनि	नुबरा
5. ज़ेमु	मानस

**उपर्युक्त युगमों में से कौन-से युगम सही सुमेलति हैं?**

- (a) 1, 2 और 4
- (b) 1, 3 और 4
- (c) 2 और 5
- (d) 3 और 5

**उत्तर: (a)**

### ??????:

प्रश्न. नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधति जल-परविहन जैसी बहु-आयामी अंतरसंबंधति समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परिक्षण कीजिये। (2020)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/disputes-related-to-indus-water-treaty>

